न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 110 / 2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2004 / 00008

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
भेरा पुत्र भावा, जाति–कोली, निवासी–अमरापुरी (बिछावाड़ी) तहसील–सांचौर, जिला–जालोर		1 स्व. देवीसिंह पुत्र नगसिंह के कायम मुकाम अ– दिलीपसिंह पुत्र देवीसिंह ब–स्व. गेजसिंह पुत्र देवीसिंह फौत के कायम मुकाम (i) रूकमण कंवर पुत्री गजेसिंह (ii) निरमा कंवर पुत्री गजेसिंह (iii) इन्द्रकंवर बैवा गजेसिंह 2 स्व. जूठसिंह पुत्र नगसिंह के कायम मुकाम अ–स्व. महेन्द्रसिंह पुत्र जूठसिंह फौत के कायम मुकाम (i) रतनकंवर बैवा महेन्द्रसिंह (ii) भानू प्रताप पुत्र महेन्द्रसिंह ब–ज्ञानसिंह पुत्र जूठसिंह स–विरूसिंह पुत्र जूठसिंह 3 स्व. गुलाबसिंह पुत्र जवाहरसिंह के कायम मुकाम अ–खंगारसिंह पुत्र गुलाबसिंह ब–मूलसिंह पुत्र गुलाबसिंह स–सबलसिंह पुत्र गुलाबसिंह 4 स्व. हमीरसिंह पुत्र जवाहर फौत के कायम मुकाम अ–सबलसिंह पुत्र रतनसिंह 5 भवानीसिंह पुत्र रतनसिंह 6 स्व. हरिसिंह पुत्र का[illegible]यम मुकाम अ–शैलसिंह [illegible] हरिसिंह ब–[illegible] पुत्र हरिसिंह फौत के का[illegible] मुकाम (i) हेमेन्द्रसिंह पुत्र पहाड़सिंह (ii) उगम कंवर बैवा पहाड़सिंह स–धनकंवर बैवा हरिसिंह 7 स्व. गुलाबसिंह पुत्र कानसिंह के कायम मुकाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

अ–स्व. सुखसिंह पुत्र गुलाबसिंह
फौत के वारिशान्

(i) प्रवीणसिंह पुत्र सुखसिंह

(ii) सुरेन्द्रसिंह पुत्र सुखसिंह

(iii) प्रेम कंवर बैवा सुखसिंह

ब– मदनसिंह पुत्र गुलाबसिंह

स–शेरसिंह पुत्र गुलाबसिंह

द–शैतानसिंह पुत्र गुलाबसिंह

य–पवन कंवर बैवा गुलाबसिंह

8 स्व. वल्लभसिंह पुत्र रिड़मलसिंह के कायम मुकाम

अ–दलपतसिंह पुत्र वल्लभसिंह
फौत के कायम मुकाम

(i)महेन्द्रसिंह पुत्र दलपतसिंह

(ii)हेतपालसिंह पुत्र दलपतसिंह

9 स्व. ओखसिंह पुत्र रिड़मलसिंह फौत के कायम मुकाम

अ–विक्रमसिंह पुत्र अखेसिंह

ब–सुमेरसिंह पुत्र अखेसिंह

10 स्व. जीवराजसिंह पुत्र उम्मेदसिंह फौत के कायम मुकाम

अ–सवाईसिंह पुत्र जीवराजसिंह

ब–मदनसिंह पुत्र जीवराजसिंह

11 स्व. हरिसिंह पुत्र उम्मेदसिंह फौत के कायम मुकाम

अ–पहाड़सिंह पुत्र हरिसिंह

12 स्व. अमरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह फौत के कायम मुकाम

अ–मदनसिंह पुत्र अमरसिंह

13 स्व. भवानीसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह फौत के कायम मुकाम

अ–सुखसिंह पुत्र भवानीसिंह

ब–मनोहरसिंह पुत्र भवानीसिंह
फौत के कायम मुकाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:27 IST
Reason: SelfAttested

(i) महिपाल पुत्र मनोहरसिंह

(ii) नेनकंवर पुत्री मनोहरसिंह

स–दरिया कंवर बैवा भवानीसिंह

14 स्व. अनाड़सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह फौत के कायम मुकाम

अ–जबरसिंह पुत्र अनाड़सिंह

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रैक) सांचौर

ब–अर्जुनसिंह पुत्र अनाडसिंह

स–खंगारसिंह पुत्र अनाडसिंह

द–इन्द्र कंवर बैवा अनाडसिंह

जातियान–राजपुत, निवासीगण–

जानवी, तहसील–चितलवाना, जिला–जालोर

15 तहसीलदार भूमिधारी सांचौर, जिला–जालोर

दावा बाबत् खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 20.09.2004

उपस्थिति :–

1. वादी की और विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालड़िया उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से राज पैरोकार उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 10.02.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वांके सरहद बिछावाड़ी वर्तमान अमरापुरी में वादी के स्व. पिता भावला वल्द पीथा कोली की खातेदारी का पुश्तैनी खेत खसरा संख्या 332 रकबा 52 बीघा 8 बिस्वा जिसके वर्तमान भू–प्रबंध के नये खसरा संख्या 479 रकबा 7.90 हैक्टेयर, खसरा संख्या 478/1847 रकबा 0.58 हैक्टेयर आया हुआ है। जिस पर वादी अपने बाप दादों के समय से प्रेडिसैसर तौर से वक्त भू–प्रबंध से पूर्व से लगाकर आज दिन तक निर्बाध रूप से सहज व शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। वादी की उक्त खेत में रहवासीय ढ़ाणी बनी हुई है जिसमें वादी का अपने पूर्वजों के समय से लंबा निवास है। उक्त आराजी की गिरदावरी प्रथम भू–प्रबंध से वादी के नाम होती रही है तथा वादी सदैव लगान अदा करते रहे है, वादी के अलावा उक्त आराजी में प्रथम भू–प्रबंध से पूर्व या पश्चात आज दिन तक किसी ने खेती नहीं की है तथा वादी [illegible] से आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी काश्त करते रहे है। प्रथम बंदोबस्त [illegible] के पिता स्व. भावाजी पुत्र पीथा कोली, बहैसियत खातेदार आसामी [illegible] काश्त होने से प्रथम भू–प्रबंध के अधिकार अभिलेख में उक्त आराजी वादी के स्व. [illegible] भावाजीड़ा का नाम खातेदार के रूप में इन्द्राज किया। प्रतिवादीगण के पूर्वज जवाहरसिंह वगैरह गांव जानवी के भूतपूर्व जागीरदार सामन्त थे जो उक्त भूमि के माफीदार नहीं थे, ये वादी के पूर्वजों से वादग्रस्त भूमि पर काश्त करने के बदले हासल (लगान) नहीं लेते थे, इसलिए जब प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

बंदोबस्त के दौरान मौके पर वादी के स्व. पिता भावजीड़ा पुत्र पीथा कोली का कब्जा काश्त होने से प्रथम भू–प्रबंध का अभिलेख व गिरदावरी में वादी के पिता का खातेदार के रूप में नाम बदस्तूर कब्जा काश्त दर्ज किया गया तथा कृषक के कॉलम संख्या 6 में वादी के पिता भावजीडा का नाम खातेदार के रूप में इन्द्राज किया गया जबकि गिरदावरी के जागीरदार के नाम के कॉलम संख्या 5 में प्रतिवादीगण के पूर्वज जवाहरसिंह वगैरह का नाम बतौर माफीदार उक्त इन्द्राज किया गया। वादग्रस्त भूमि कभी भी प्रतिवादीगण की खुद काश्त, सिर, हवाला, निजीजोत या घर खेड़ की नहीं रही है एवं न ही आज दिन तक प्रतिवादीगण को खुद काश्त के रूप में कानूनीया खातेदार अधिकार प्राप्त हुए है तथा वादग्रस्त आराजी शुरू से लेकर आज दिन तक वादी के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि रही है इस प्रकार वादग्रस्त भूमि का राज्य सरकार में पुर्नग्रहण से पूर्व वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के बीच वादग्रस्त भूमि के जागीरदार व खातेदार आसामी के संबंध रहे है जो जागीरी रिज्म के बाद प्रतिवादीगण के पूर्वजों की माफीदारी सरकार ने ले ली तथा उक्त भूमिधारी अधिकार राज्य सरकार में निहित हो गये तथा वादी तत्पश्चात राज्य सरकार के खातेदार हो गये व वादी की वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अधिकार आज दिन तक प्रभावशील व प्रवर्तनशील है। वादी व वादी का मृतवफी पिता भावाजी अशिक्षित अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्ग के व्यक्ति रहे है इसलिए राजकीय भू–अभिलेख के इन्द्राज सदैव वादी के पहुंच से परे रहे है, जबकि प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के पिता स्व. जवाहरसिंह वगैरह गांव के जागीरदार व भूतपूर्व जागीरदार रहे है इनकी पूर्व जागीरी के गांव में हमेशा दबदबा रहा है। इस स्थिति का अनुचित फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने वादी की वादग्रस्त आराजी हड़पने की बदनियती से बाले बाले वादी के पीठ के पिछे प्रथम भू–प्रबंध की जमाबंदी गिरदावरी में वादी के पिता भावजीड़ा के वादग्रस्त भूमि के खातेदारी के इन्द्राज के चारों ओर गोल घेरा कर उस पर चौकड़ी लगा दी। गिरदावरी में कॉलम संख्या 15 व 16 पर वादी के पिता के नाम की काश्त को काटकर उस पर अनुचित रूप से तरमीम परचा के विधि विरूद्व साधन के जरिये अपने नाम का खुद काश्त इन्द्राज करवा लिया, जबकि आगे के कॉलम में वादी का काश्त दर्ज है। प्रतिवादीगण की उक्त हरकत न केवल अवैधानिक है, बल्कि निरोह स्वैच्छा धारी, प्राकृतिक न्याय के विपरित व शून्य प्रभावी है। ऐसे अवैध तरमीम परचा के इन्द्राज के रूह से वादी के हक में कोई अधिकार क्रियेट नहीं होता है एव न ही ऐसी कोई तरमीम परचा के जरिये किसी खातेदार की खातेदारी समाप्त करने का कानून में कोई प्रावधान है एवं न ही वादग्रस्त भूमि [illegible] प्रतिवादीगण के खुद काश्त की होना किसी सक्षम न्यायालय से अभि[illegible] ऐसे खुदकाश्त के इन्द्राज के आधार पर खातेदारी अधिकार [illegible] का कोई प्रावधान था। इसलिए तरमीम परचा के नाम की ऐसी अस्तित्वहीन विधिवि[illegible] कार्यवाही के आधार पर तजवीज खातेदारी जिसका आधार ही विधि में अवैध व शून्य प्रभावी हो स्वतः विधि विरूद्व व शून्य प्रभावी है जिसके जरिये प्रतिवादीगण के हक में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। अतः वादग्रस्त आराजी के वादी खातेदार आसामी है जो उपरोक्त अवैध व शून्य प्रभावी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

कार्यवाही से वर्षों से अनभिज्ञ वादग्रस्त भूमि में आज दिन तक बदस्तूर खेती कर रहे है तथा सदैव लगान अदा करते रहे है, जबकि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी में कभी भी खेती नहीं की व सदैव आउट ऑफ पजेशन रहे है सो वादी को तरमीम परचा संख्या 725/100 की कार्यवाही को अवैध शून्य प्रभावी व अस्तित्त्वहीन करार उसके आधार पर तजवीज प्रतिवादीगण के नाम की खातेदारी अपास्त करवाने व अपने खातेदार हकों की घोषणा का एतदर्थ दावा पेश है। प्रतिवादीगण ने आज से लगभग 10 दिन पूर्व हमारे उक्त वादग्रस्त भूमि में जबरन प्रवेश करने की नाजायज कोशिश की, मगर मौके पर वादी व अन्दर निवास कर रहे बाल बच्चों के भारी विरोध के परिणामस्वरूपः वे बलपूर्वक अन्दर कब्जा कर वादी को बेदखल की उस वक्त हिम्मत नहीं कर पाये, मगर अब प्रतिवादीगण की नियत वादग्रस्त भूमि अपने नाम होने के आधार पर येन केन प्रकारेण वादी को लाठी व डण्डे के बल बाहर खदेड़ अन्दर बलपूर्वक कब्जा जमाकर वादग्रस्त भूमि हड़पने की है। वादी अत्यन्त गरीब लोग है जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब होने से लम्बा कैस झगड़ कर वादग्रस्त भूमि के अधिकार प्राप्त की हालत में नहीं है मगर फिर भी अत्यन्त मजबूरी की अवस्था में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिवादीगण के बलपूर्वक नाजायज प्रवेश के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद साथ पेश है। विनायवाद उस समय पैदा हुआ जबकि प्रतिवादीगण भूतपूर्व जागीरदारों ने वादी के अनपढ़ अनुसूचित जाति के गरीब तबके के व्यक्ति होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रथम भू–प्रबंध संवत् 2013 की जमाबंदी, गिरदावरी में वादी की पीठ पीछे अस्तित्वहीन तरमीम परचा संख्या 725/100 का हवाला देकर वादी के खातेदारी की वादग्रस्त आराजी को अवैध व मिथ्या रूप से खुद काश्त की बताकर विधि विरूद्व साधनों के जरिये वादी से बाले बाले खातेदारी अपने नाम मुन्तकिल करवा कर लंबे समय तक वादी को इसकी जानकारी से परे रखा उसके पश्चात उस समय पैदा हुआ जबकि वादग्रस्त भूमि वादी के खातेदारी हकूकों की कब्जा काश्त की भूमि होते हुए व प्रतिवादीगण सदैव इससे आउट ऑफ पजेशन होते हुए आज से 10 वर्ष पूर्व व अभी दस रोज पूर्व अन्दर बलपूर्वक कब्जा कर वादी को बाहर खदेड़ भूमि हड़पने की नाजायज व असफल हरकते की तारीख विनायवाद से दावा अन्दर म्याद पेश है।

दावा दिनांक 20.09.2004 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, प्रतिवादीगण उपस्थित आये तथा जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व भू–प्रबंध के अनुसार आराजी खसरा [illegible] रकबा 52 बीघा 8 बिस्वा जिसके वर्तमान भू–प्रबंध के अनुसार खसरा संख्या 479 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा संख्या 478/1847 रकबा 0.58 हैक्टेयर प्रतिवादीगण के [illegible] है। जिस पर वादी अथवा उसके बाप दादों का कभी कोई कब्जा काश्त अथवा खातेदारी नहीं रही है न ही कोई अन्दर ढ़ाणी है। गिरदावरी आज दिन तक ही हम प्रतिवादीगण के नाम की है तथा जब तक राजस्थान सरकार द्वारा लगान अदा किया जाता था तब तक हाने ही अदा किया। वर्तमान में लगान माफ है। बाकी सारी इबारत वादी गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

मनजीडा के नाम से आराजी मुतदाविया की कभी कोई खातेदारी नहीं थी न ही उसका कभी खातेदार रहा है जैसा कि वादी ने गिरदावरी अपने नाम की होना बताया है व गलत है। हकीकत मे आज दिन तक की गिरदावरी व सारा राजस्व रेकर्ड हम प्रतिवादीगण के नाम से है। भू-प्रबंध अभिलेख अथवा गिरदावरी आज दिन तक हम प्रतिवादीगण के नाम से ही होती है तथा मोके पर कब्जा काश्त भी हमारा है। बाकी सारी इबारत गलत होने से अस्वीकार है। आराजी मुतदाविया खसरा संख्या 332 रकबा 52 बीघा 8 बिस्वा वांके सरहद बिछावाड़ी, तहसील-सांचौर जिसके वर्तमान भू-प्रबंध के अनुसार खसरा संख्या 479 रकबा 7.90 हैक्टेयर, खसरा संख्या 478/1847 रकबा 0.58 हैक्टैयर हम प्रतिवादीगण की खातेदारी की है तथा कब्जा एवं काश्त हम प्रतिवादीगण का है तथा संवत् 2012 से लगातार आज दिन तक राजस्व रेकर्ड हम प्रतिवादीगण के नाम का है। अतः वादी किसी प्रकार की खातेदारी की डिक्री अथवा निषेधाज्ञा की डिक्री हम प्रतिवादीगण के खिलाफ पाने का हकदार नहीं है। अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई :-

तनकी संख्या 1 :- आया वादीगण के बाप दादों प्रथम सेटलमेंट से वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने व पुश्तैनी कब्जा व खातेदारी की होने से वादीगण मोजा अमरापुरी (बिछावाड़ी) के खेत खसरा संख्या 479 रकबा 7.90 हैक्टेयर व खसरा संख्या 478/1847 रकबा 0.58 हैक्टेयर के खातेदारी हकों की घोषणात्मक डिक्री पाने के हकदार है। (जिम्मे वादी)

तनकी संख्या 02 :- आया तरमीम पर्चा संख्या 725/100 तहसीलदार सांचौर अवैध व शून्य प्रभावी होने से ऐसे तरमीम पर्चों के जरिये खातेदारी कानूनीया परिवर्तित नहीं की जा सकती। (जिम्मे वादी)

तनकी संख्या 03 :- आया वादग्रस्त भूमि लगातार वादीगण के कब्जा काश्त की होने से उक्त आराजी की खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। (जिम्मे वादी)

तनकी संख्या 04 :- आया ग्राम बिछावाड़ी हाल अमरापुरी के खेत खसरा संख्या पुराने 332 रकबा 52 बीघा 8 बिस्वा के नये नंबर 479 रकबा 7.90 हैक्टेयर खसरा संख्या 478/1847 रकबा 0.58 हेक्टेयर भूमि हमारी पुश्तैनी है तथा प्रथम सर्वे से हमारी खातेदारी में दर्ज है जिस पर वादीगण खातेदारी अधिकार पाने का हकदार नहीं है। (जिम्मे प्रतिवादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:27 IST
Reason: SelfAttested.

तनकी संख्या 05 :- आया संवत् 2013 की गलत एन्ट्री को एसडीओ कोर्ट भीनमाल के आदेश नंबर 331 दिनांक 14.02.1959 के हटाया गया जिसकी कोई अपील अथवा निगरानी नहीं हुई है सो पुनः इस न्यायालय में कार्यवाही नहीं चल सकती। (जिम्मे प्रतिवादी)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्ट्रेक) सांचौर

तनकी संख्या 06 :– आया इस आराजी के संबंध में इन्हीं पक्षकारों के मध्य इसी विषयवस्तु पर राजस्व वाद संख्या 61/84 ऐ.सी.एम. कोर्ट सांचौर में चल चुका है व निर्मित हुआ है सो पुन: इस न्यायालय में वाद नहीं चल सकता है। (जिम्मे प्रतिवादी)

प्रकरण में उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि मौजा वादी के स्व. पिता भावला की खातेदारी का पुश्तैनीय खेत खसरा संख्या पुराना 332 रकबा 52 बिघा 8 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा संख्या 479 रकबा 7.90 हैक्टेयर, खसरा संख्या 478/1847 रकबा 0.58 हैक्टैयर का आया हुआ है। उक्त खेतों पर वादी का बाप दादाओं के समय से प्रेडीसेसर तौर से प्रथम सेटलमेंट से पूर्व से लगातार आज दिन तक काश्त कब्जा आया हुआ जो हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.06.2014 से स्पष्ट है तथा उक्त आराजी की बिघोड़ी वादी अदा करता रहता है तथा गिरदावरी भी वादी के नाम से होती है तथा वादी की पीढ़ी दर पीढ़ी काश्त कब्जा चला आ रहा है तथा प्रथम बंदोबस्त के समय वादग्रस्त आराजी में वादी के स्व. पिता भावला पुत्र पीथा कोली बहैसियत खातेदारी आसामी काबिज होने से उक्त वादग्रस्त आराजी वादी के स्व. पिता भावला का नाम खातेदार के रूप में ईन्द्राज किया गया किन्तु प्रतिवादीगण के पूर्वज जवाहरसिंह वगैरह ग्राम जानवी के जागीरदार थे माफीदार नही थे, इसलिए प्रथम बंदोबस्त के दौरान मौके पर वादी के पिता भावजीड़ा का कब्जा काश्त होने से प्रथम सेटलमेंट के अभिलेख व गिरदावरी में वादी के पिता का खातेदार के रूप में नाम बदस्तूर दर्ज किया गया तथा कृषक के कॉलम संख्या 6 में वादी के पिता भावजीड़ा का नाम खातेदार के रूप में ईन्द्राज किया गया जबकि गिरदावरी के जागीरदार कॉलम संख्या 5 में प्रतिवादीगण के पूर्वज जवाहरसिंह वगैरह का नाम बतौर माफीदार गलत इन्द्राज किया गया जबकि आज दिन तक प्रतिवादीगण को खुद काश्त के रूप में कानूनीया खातेदार अधिकार प्राप्त नहीं हुए है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि का राज्य सरकार में पूर्नग्रहण से पूर्व वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के बीच वादग्रस्त भूमि के जागीरदार व खातेदार आसामी के संबंध रहे है तथा जागीरी रिजम के बाद प्रतिवादीगण के पूर्वजों की माफीदारी सरकार ने ले ली तथा भूमिधारी अधिकार राज्य सरकार में निहित हो गये तत्पश्चात वादी राज्य सरकार के खातेदार हो गये वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अधिकार आज दिन तक प्रभावशील व प्रर्वतनशील है। वादी व वादी के स्व. पिता भावजीड़ा अशिक्षित अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है इसलिए राजकीय भू–अभिलेख इन्द्राज में सदैव पहुंच से परे रहे तथा [illegible] व उनके पूर्वज भूतपूर्व जागीरदार रहे तथा इस अनुचित स्थिति का [illegible] ने उक्त आराजी को हड़प करने की नियत से वादी के पीठ पीछे प्रथम भू–प्रबंध जमाबंदी गिरदावरी में वादीगण के पिता भावजीड़ा के खातेदारी के इन्द्राज के चारों ओर गोल घेरा कर उस पर चौकड़ी लगा दी तथा गिरदावरी में कॉलम संख्या 15 व 16 पर वादी के पिता के नाम की काश्त को काटकर उस पर अनुचित रूप से तरमीम पर्चा के विधि विरूद्ध अपने नाम का खुद काश्त इन्द्राज करवा दिया ऐसे अवैध तरमीम पर्चा के इन्द्राज के रूह से वादी के हक में कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(मुख्यालय) सांचौर

अधिकार क्रिएट नही होते है न ही तरमीम पर्चा के जरिये किसी खातेदार की खातेदारी समाप्त करने का कानून में कोई प्रावधान है तथा तरमीम पर्चा के नाम की ऐसी अस्तीत्वहीन विधि विरूद्व कार्यवाही के आधार पर तजवीज खातेदारी जिसका आधार ही विधि में अवैध व शून्य प्रभावी हो स्वतः विधि विरूद्व व शून्य प्रभावी है उपरोक्त अवैध व शून्य प्रभावी कार्यवाही से बरसों साल से वादी अनभिज्ञ वादग्रस्त भूमि में आज दिन तक बदस्तूर खेती कर रहा है तथा प्रतिवादीगण उक्त आराजी में सदैव आउट ऑफ पजेशन रहे है ऐसी सूरत में वादी को तरमीम पर्चा संख्या 725/100 की कार्यवाही को अवैध शून्य प्रभावी करार उसके आधार पर तजवीज प्रतिवादीगण के नाम की खातेदारी अपास्त करवाने व अपने खातेदारी हकों की घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है। अंत में विद्वान अधिवक्ता वादी ने पुराना खेत खसरा संख्या 332 से नवसृजित खसरा संख्या वर्तमान राजस्व ग्राम अमरापुरी के खेत खसरा संख्या 479 व 478/1847 प्रतिवादीगण के नाम तरमीम पर्चा संख्या 725/100 व इसके आधार पर तजवीज प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी को अवैध व शून्य प्रभावी करार अपास्त कर उक्त भूमि की खातेदारी हकों की उद्घोषणा वादी के नाम करने व वादग्रस्त आराजी पर वादी का सहज व शांतिपूर्वक ढंग से काश्त कब्जा होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपने जवाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के प्रतिवादीगण रेकोर्डेड खातेदार है उक्त आराजी पर वादी का कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है तथा उक्त आराजी की प्रतिवादीगण के नाम गिरदावरी होती चली आ रही है तथा संवत् 2012 में गिरदावरी प्रतिवादी के नाम दर्ज हुई अगर गलती से वादी के पिता का नाम दर्ज हुआ होगा तो विधिवत् बाद जांच हटा दिया होगा वादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है जो काबिल खारिज है। वादी के पिता ने पूर्व में प्रतिवादीगण के खिलाफ सहायक कलक्टर सांचौर में मुकदमा संख्या 11/84 पेश किया था जो दिनांक 12.06.1985 को इसी अदालत में खारिज हो चुका है जिसकी आज दिन तक कोई अपील नहीं की है तथा दूसरा इसी विषयवस्तु को लेकर वाद पेश किया है जो रेसज्यूडिकेटा की ताईद में आने से वादी का वाद खारिज किया जावें।

हस्तगत प्रकरण में वादी [illegible] उपस्थित होकर अपने बयान लेखबद्व करवाये तथा संवत् 2013 गिरदावरी ईएक्स [illegible] गिरदावरी संवत 2014 से 2016 ईएक्स पी2 नामान्तरकरण, ईएक्स 3 व 4, [illegible] ईएक्स 5, खतौनी बंदोबस्त, ईएक्स 6, प्रदर्शित करवाये गये व इसी प्रकार वादी की ओर [illegible] गवाह धुड़ाराम ने भी सशपथ बयान देकर वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त वादी का होना जाहिर किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण की साक्ष्य बंद की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

हमने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति गहनता से अध्ययन व अवलोकन किया गया तथा तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से है :–

तनकी संख्या 01 :– उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादीग पर होने से इस संबंध में वादी ने गिरदावरी संवत् 2013 ईएक्स 1 पेश की जिसमें कॉलम संख्या 6 में भावजीड़ा कोली का नाम बतौर खातेदार दर्ज है किन्तु कॉलम संख्या 6 में लाल स्याही से गोल घेरा कर उक्त नाम काटा गया तथा तरमीम 725/100 दर्ज कर पुनः उक्त कॉलम के निचे माफीक दुरूस्ती तरमीम कर्ता के खुदकाश्त जवाहरसिंह वगैरह कौम राजपुत साकिनान् जानवी माफीदार खुद काश्त लिखा हुआ है तथा इसी प्रकार सेटलमेंट डिपार्टमेंट डिवीजन जोधपुर का पर्चा लगान में भी कॉलम संख्या 3 में भावला वल्द पीथा कौम–कोली सा. देह खातेदार दर्ज है व इसी प्रकार पर्चा खतौनी में भी कॉलम संख्या 4 में भावला वल्द पीथा कौम कोली का नाम दर्ज है तथा इस संबंध में वादी भेरा द्वारा व वादी के गवाह धुड़ाराम ने भी उक्त खेत पर काश्त कब्जा वादी का होना अपने बयानों में बताया गया है किन्तु प्रतिवादीगण की और से वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् व वादी की और से पेश साक्ष्य का न तो अपने साक्ष्य पेश कर न ही दस्तावेज पेश कर कोई खंडन किया गया है। ऐसी सूरत में उक्त आराजी पर प्रथम सेटलमेंट से लगातार आज दिन तक काश्त कब्जा वादी का होना प्रतीत होता है तथा प्रथम सेटलमेंट के वक्त गिरदावरी संवत् 2013 से अवैध तरीके से वादी के स्व. पिता भावजीड़ा कौली का नाम काटकर उक्त आराजी की प्रतिवादीगण के नाम गिरदावरी दर्ज कर अवैध व गलत तरीके से प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज होना प्रतीत होने से वादी उक्त वादग्रस्त आराजी की खातेदारी पाने के अधिकारी होने से तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 :– उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादी पर होने से वादी द्वारा इस संबंध में वादी ने दस्तावेज प्रदर्श 1 पेश कर अपने सशपथ बयानों में बताया कि उक्त आराजी संवत् 2013 की प्रथम गिरदावरी मेरे पिता भावाराम के नाम दर्ज हुई तथा तरमीम पर्चा 725/100 मेरे पिता के नाम पर लाईन फेरकर दुरूस्ती की गई इस संबंध में वादी की और से वादग्रस्त आराजी के मौके की मौका फर्द हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 07.06.2014 तहसीलदार सांचौर द्वारा पेश मौका [illegible] भैराराम व मालाराम का कब्जा होना बताया गया है किन्तु प्रतिवादीगण [illegible] उक्त [illegible] का रिपोर्ट बाबत् किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया गया [illegible] साक्ष्य में प्रतिवादीगण का कब्जा होना नहीं बताया गया है। ऐसी सुरत [illegible] तरमीम पर्चा संख्या 725/100 वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त न होते हुए तथा वादी को सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त तरमीम पर्चा जारी किया गया है जो ऐसी कार्यवाही विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

द्वारा सुस्थापित सिद्वान्तों अनुसार अवैध व शून्य होने से तनकी संख्या 02 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 03 :–</u> उक्त तनकी के संबंध में वादी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त वादी का होना प्रदर्श 1 गिरदावरी तथा तहसीलदार सांचौर की मौका रिपोर्ट से साबित होने से वादी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का हकदार होने से तनकी संख्या 3 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 04 :–</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादीगण को है परन्तु इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह माना जावें की उक्त आराजी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी है ऐसी सुरत में दस्तावेजात् व साक्ष्य के अभाव में तनकी संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 05 :–</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर होने से प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली में ए.आर.ओ सांचौर द्वारा पत्रावली संख्या 281/5354 में आदेश दिनांक 13.07.1954 से संबंधित है जो अभिलेख पेश किये है उसके अनुसार ए.आर.ओ सांचौर ने खसरा नंबर 332 को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये है उसमें वादी भेरा पुत्र भावा के पिता भावा उर्फ भावजीड़ा को पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह आदेश भू अभिलेख तैयार करने हेतु सहायक रिकॉर्ड ऑफिसर द्वारा सजरी किया गया है यह वाद में पारित आदेश नहीं है। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 88 के तहत घोषणात्मक दावा निर्णित करने की शक्तियां सहायक कलक्टर को ट्रायल कोर्ट के रूप में प्राप्त है तथा घोषणात्मक दावा दायर करने की कोई म्याद नहीं है। वाद कदीमी कभी भी पेश किया जा सकता है। ए.आर.ओ द्वारा पारित आदेश प्रार्थना–पत्र के निर्णय के संबंधित है। अतः ए.आर.ओ द्वारा पारित आदेश को साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है परन्तु इस आदेश के आधार पर रेसज्यूडिकेटा के सिद्वान्त के आधार पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः तनकी संख्या 5 प्रतिवादीगण के विरूद्व व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 06 :–</u> [illegible] जिम्मा प्रतिवादीगण पर होने से प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावें में बता[illegible] के पिता ने एक घोषणात्मक वाद संख्या 61/84 दिनांक 09.06.19[illegible] ने दिनांक 12.06.1985 तक जवाब पेश नहीं किया था तथा वादी के [illegible] ने वाद में नो इन्ट्रक्शन प्लीड कर दिया जिसकी वजह से न्यायालय द्वारा वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया जबकि विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों अनुसार नो इन्ट्रक्शन प्लीड करने से पूर्व किसी भी पक्षकार को उसके अधिवक्ता द्वारा लिखित में सुचना देना आवश्यक है परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर आदेशिका अनुसार उपलब्ध नहीं है तथा उक्त वाद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्ट्रेक) सांचौर

न्यायालय द्वारा भी वादी को इस बारे में कोई सूचित नहीं किया है। इस संबंध में विद्वान वकील वादी द्वारा गणपतसिंह वगैरह बनाम श्रीमती सिरे कंवर आर.आर.डी. 1992 पेज संख्या 207 राजस्व मण्डल की खण्डपीठ नजीरात पेश की जो उक्त नजीरात इस प्रकरण में चस्पा होती है तथा न्यायालय उक्त नजीर से सहमत है। अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण अनुसार तनकी संख्या 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तथा वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

फलतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादी के पक्ष में तथा तनकी संख्या 4 लगायत 6 वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित होने से वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा अमरापुरी के खेत खसरा संख्या 479 रकबा 7.90 हैक्टैयर, खसरा संख्या 478/1847 रकबा 0.58 हैक्टेयर की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाती है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें व न ही किसी अन्य से करावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा अमरापुरी के खेत खसरा संख्या 479 रकबा 7.90 हैक्टेयर व खसरा संख्या 478/1847 रकबा 0.58 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। इस आशय की पृथक से तहरीर जारी हो तदनुसार डिक्री पर्चा मुद्रित हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचौर, जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक **10.02.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचौर, जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:27 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
Civil Procedure Code, Appendix "D-"1

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक)सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी का नाम :–श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :– 110/2014
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2004/00008

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
भेरा पुत्र भावा, जाति–कोली, निवासी–अमरापुरी (बिछावाड़ी) तहसील–सांचौर, जिला–जालोर		1 स्व. देवीसिंह पुत्र नगसिंह के कायम मुकाम अ– दिलीपसिंह पुत्र देवीसिंह ब–स्व. गेजसिंह पुत्र देवीसिंह फौत के कायम मुकाम (प) रूकमण कंवर पुत्री गजेसिंह (पप) निरमा कंवर पुत्री गजेसिंह (पपप) इन्द्रकंवर बैवा गजेसिंह 2 स्व. जूठसिंह पुत्र नगसिंह के कायम मुकाम अ–स्व. महेन्द्रसिंह पुत्र जूठसिंह फौत के कायम मुकाम (प) रतनकंवर बैवा महेन्द्रसिंह (पप) भानू प्रताप पुत्र महेन्द्रसिंह ब–ज्ञानसिंह पुत्र जूठसिंह स–विरूसिंह पुत्र जूठसिंह 3 स्व. गुलाबसिंह पुत्र जवाहरसिंह के कायम मुकाम अ–खंगारसिंह पुत्र गुलाबसिंह ब–मूलसिंह पुत्र गुलाबसिंह स–सबलसिंह पुत्र गुलाबसिंह 4 स्व. हमीरसिंह पुत्र जवाहर फौत के कायम मुकाम अ–सबलसिंह पुत्र रतनसिंह 5 भवानीसिंह पुत्र रतनसिंह 6 स्व. हरिसिंह पुत्र कानसिंह के कायम मुकाम अ–शैलसिंह पुत्र हरिसिंह ब–स्व. पहाडसिंह पुत्र हरिसिंह फौत के कायम मुकाम (प) हेमेन्द्रसिंह पुत्र पहाड़सिंह (पप) उगम कंवर बैवा पहाड़सिंह स–धनकंवर बैवा हरिसिंह 7 स्व. गुलाबसिंह पुत्र कानसिंह के कायम मुकाम अ–स्व. सुखसिंह पुत्र गुलाबसिंह फौत [illegible] (प) प्रवी[illegible] पु[illegible] सुखसिंह (पप) [illegible] सुखसिंह (पपप) [illegible] बैवा सुखसिंह ब– मदनसिंह पु[illegible] गुलाबसिंह स–शेरसिंह पुत्र [illegible]बसिंह द–शैतानसिंह पुत्र गुलाबसिंह य–पवन कंवर बैवा गुलाबसिंह 8 स्व. वल्लभसिंह पुत्र रिड़मलसिंह के कायम मुकाम अ–दलपतसिंह पुत्र वल्लभसिंह फौत के कायम मुकाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर

(प)महेन्द्रसिंह पुत्र दलपतसिंह
(पप)हेतपालसिंह पुत्र दलपतसिंह
9 स्व. ओखसिंह पुत्र रिड़मलसिंह फौत के कायम मुकाम
अ–विक्रमसिंह पुत्र अखेसिंह
ब–सुमेरसिंह पुत्र अखेसिंह
10 स्व. जीवराजसिंह पुत्र उम्मेदसिंह फौत के कायम मुकाम
अ–सवाईसिंह पुत्र जीवराजसिंह
ब–मदनसिंह पुत्र जीवराजसिंह
11 स्व. हरिसिंह पुत्र उम्मेदसिंह फौत के कायम मुकाम
अ–पहाड़सिंह पुत्र हरिसिंह
12 स्व. अमरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह फौत के कायम मुकाम
अ–मदनसिंह पुत्र अमरसिंह
13 स्व. भवानीसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह फौत के कायम मुकाम
अ–सुखसिंह पुत्र भवानीसिंह
ब–मनोहरसिंह पुत्र भवानीसिंह
फौत के कायम मुकाम
(प) महिपालसिंह पुत्र मनोहरसिंह
(पप) नेनकंवर पुत्र मनोहरसिंह
स–दरिया कंवर बैवा भवानीसिंह
14 स्व. अनाड़सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह फौत के कायम मुकाम
अ–जबरसिंह पुत्र अनाड़सिंह
ब–अर्जुनसिंह पुत्र अनाडसिंह
स–खंगारसिंह पुत्र अनाडसिंह
द–इन्द्र कंवर बैवा अनाडसिंह
जातियान–राजपुत, निवासीगण–
जानवी, तहसील–चितलवाना, जिला–जालोर
15 तहसीलदार भूमिधारी सांचौर, जिला–जालोर

दावा बाबत खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू :– 20.09.2004

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा अमरापुरी के खेत खसरा संख्या 479 रकबा 7.90 हैक्टैयर, खसरा संख्या 478/1847 रकबा 0.58 हैक्टेयर की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाती है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें व न ही किसी अन्य से करावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा अमरापुरी के खेत खसरा संख्या 479 रकबा 7.90 हैक्टेयर व खसरा संख्या 478/1847 रकबा 0.58 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। इस आशय की पृथक से [illegible] अनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

मौजा–अमरापुरी (बिछावाड़ी) मुवलिंग बाबत् खर्चा इस मुकदमे के [illegible] फीसदी, सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक की अदा करें।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **10.02.2025** को जारी की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:27 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस.**)
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रैक)
सांचोर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचोर फास्ट ट्रेक सांचोर (जालोर) जिला जालोर

मुदई	रूपया	पै0	मुद्दायलाह	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	06	00
स्टाम्प वकालात नामा	04	00	स्टाम्प अर्जी	06	00
स्टाम्प वजह सबूय	00		महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00		खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00		फीस कमीश्नर	00	00
फीस कमीश्नर	00		बाबत् इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत् इजराय हुक्मनामा	00		मुतफरीक	00	00
मुतफरिक	00				
मौजाना	06	00	मौजाना	12	00

नोट :– **इस** खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर की फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया **गया** हो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर
फास्ट ट्रेक
सांचौर (जालोर)
जिला जालोर

सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रैक)
सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:27 IST
Reason: SelfAttested